UPLK010112952023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2465 / 2023

सरकार बनाम महेन्द्र पाल सेट्ठी

अ0सं0 317 / 2022

धारा—323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,

थाना—आलमबाग, लखनऊ।

04—10—2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्व प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरुद्व धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्व आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 04.12.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010112952023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2465/2023

सरकार बनाम महेन्द्र पाल सेट्ठी

अ0सं0 317/2022

धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–आलमबाग, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 11.09.2022 व समय 09.00 बजे रात थाना आलमबाग जिला लखनऊ सीमान्तर्गत चन्दर नगर से अजन्ता हास्पिटल के रास्ते में आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी द्वारा वादी मुकदमा आकाश दीप वर्मा को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी द्वारा वादी मुकदमा आकाश दीप वर्मा को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी द्वारा वादी मुकदमा आकाश दीप वर्मा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः:यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी द्वारा वादी मुकदमा आकाश दीप वर्मा को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त महेन्द्र पाल सेट्ठी द्वारा वादी मुकदमा आकाश दीप वर्मा जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 04–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 04–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

UPLK010166892022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2209/2022

सरकार बनाम महेन्द्र पाल सेट्ठी आदि

अ0सं0 356/2021

धारा—323,504,506 भा0द0सं0 तथा

थाना—बी0के0टी0, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त राहुल रावत को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 04.11.2021 व समय रात 09.00 बजे थाना बी0के0टी0 जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम रामपुर बेहड़ा में आप अभियुक्त राहुल रावत द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुशील कुमार व उसके साथी अनूप कुमार को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त राहुल रावत द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुशील कुमार को भद्दी—भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त राहुल रावत द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03—10—2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड—यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03—10—2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड—यूपी06127